फाइल सं0 6/18/एनसीएससी/2011-समन्वय प्रको-ठ

भारत सरकार

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 17 **अक्तूबर**, 2011

वि-ायः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 22**वीं बैठक का कार्यवृत्त ।**

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की **दिनांक़ 03-10-2011 को अपराह्न** 1.00 **बजे** आयोजित 22**वीं बैठक** के अनुमोदित कार्यवृत्त की प्रति इसके साथसूचनार्थ अग्रेषित की जाती है ।

(मंगत राम बाली)
भारत सरकार के उप सचिव

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री राजू परमार, सदस्य
4. श्री एम. शिवाना, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

संयुक्त सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव

निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों पर 3 **दिन के भीतर कार्रवाई करें :-**

1. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू)
2. श्री आर.डी. चन्द्रहास, निदेशक(एसएसडब्ल्यू/एपीसीआर)-दो प्रतियां
3. श्री मंगत राम बाली, उप सचिव (प्रशासन)

(मंगत राम बाली)
भारत सरकार के उप सचिव

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 22वीं बैठक का कार्यवृत्त

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 22वीं बैठक डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 03-10-2011 को अपराह्न 1.00 बजे उनके कार्यालय में आयोजित की गई थी । प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध–।** पर है ।

आयोग ने कार्यसूची की निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया:-

कार्यसूची की मद संख्या 1: **दिनांक 08–08–2011 को आयोजित आयोग की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।**

आयोग ने दिनांक 08-08-2011 को आयोजित 19वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की ।

कार्यसूची की मद संख्या 2: **दिनांक 08–08–2011 को आयोजित आयोग की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई ।**

आयोग ने दिनांक 08-08-2011 को आयोजित 19वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को नोट और अनुमोदित किया ।

कार्यसूची की मद संख्या 3: **दिनांक 29–08–2011 को आयोजित आयोग की 20वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।**

आयोग ने दिनांक 29-08-2011 को आयोजित 20वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की ।

कार्यसूची की मद संख्या 4: **दिनांक 29–08–2011 को आयोजित आयोग की 20वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई ।**

आयोग ने दिनांक 29-08-2011 को आयोजित 20वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को नोट और अनुमोदित किया ।

कार्यसूची की मद संख्या 5: **दिनांक 12–09–2011 को आयोजित आयोग की 21वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।**

आयोग ने दिनांक 12-09-2011 को आयोजित 21वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की ।

कार्यसूची की मद संख्या 6: दिनांक 12–09–2011 को आयोजित आयोग की 21वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई ।

आयोग ने दिनांक 12-09-2011 को आयोजित 21वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को नोट और अनुमोदित किया ।

कार्यसूची की मद संख्या 7: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रीमीलेयर/ श्रेणीकरण – श्री नरेन्द्र कुमार, राज्य महासचिव, अखिल भारतीय परिसंघ, अजा/अजजा संगठन (पंजीकृत), बिहार का अभ्यावेदन ।

इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि उच्चतम न्यायालय में प्रतिवाद करने के लिए इस मामले को विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ उठाने के लिए माननीय अध्यक्ष द्वारा एक अ.शा. पत्र माननीय केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री को भेजा जाए क्योंकि अनुसूचित जातियों के स्तर का निर्धारण छुआछूत इत्यादि की प्रथाओं के अनुसार किया जाता है न कि आर्थिक स्थिति के अनुसार ।

(कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू)

कार्यसूची की मद संख्या 8: अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध समय संबंधी परामर्शी – हाथ से सफाई संबंधी मानदंडों को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता के संबंध में ।

आयोग ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी परामर्शी की विषय-वस्तु को नोट किया । इसे भी "सफाई कर्मचारियों की दशा एवं हाथ से सफाई करने की प्रथा का उन्मूलन" संबंधी समिति द्वारा की जाने वाली सिफारिशों में शामिल किया जाना चाहिए ।

(कार्रवाई: समिति के अध्यक्ष/सदस्य सचिव)

कार्यसूची की मद संख्या 9: न्यायपालिका में आरक्षण संबंधी समिति, सफाई कर्मचारियों की दशा पर समिति की प्रारूप रिपार्टों तथा उनकी दशा में सुधार करने की सिफारिशों/प्रस्तावों पर विचारण और अन्य राज्यों में आकर बसने वाली अनुसूचित जातियों से संबंधित समस्याओं की समीक्षा ।

आयोग की इच्छा है कि सफाई करने वाले समुदाय की दशा में सुधार ï हाथ से सफाई करने की प्रथा के उन्मूलन पर समिति की रिपोर्ट को अन्तिम रूप देते समय उसमें निम्नलिखित बिन्दुओं को (सिफारिश के रूप में) शामिल किया जाए:-

(i) भारतीय रेल सहित हाथ से सफाई करने के प्रचलन की यह समस्या कहां तक फैली हुई है यह जानने की दृष्टि से एक गहन सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ।

(ii) पुनर्वास

(iii) व्यावसायिक पाठ्यक्रम और उसके उपरान्त रोज़गार प्रदान किए जाने चाहिए ।

(iv) सुविधाओं के कार्यान्वयन के लिए एससीएसपी से पूर्वोक्त निधियों का उपयोग किया जाए ताकि सफाई कर्मचारियों की जीवन स्थिति को बेहतर बनाया जा सके ।

(v) सफाई इत्यादि के क्षेत्र में ठेके पर रोज़गार को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए क्योंकि इससे सफाई कर्मचारियों का शोषण होता है ।

माननीय अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि 'न्यायपालिका में आरक्षण' पर रिपोर्ट को लाभकारी बनाने के क्रम में जिला न्यायालय स्तर के अनुसूचित जाति के न्यायाधीशों के आंकड़े सभी राज्य कार्यालयों द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र कर उन्हें रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए ।

(कार्रवाई: अध्यक्ष/सदस्य सचिव)

कार्यसूची की मद संख्या 10: **अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद ।**

आयोग ने निम्नलिखित को भी आलोकित किया:-

(i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सुदृढ़ीकरण संबंधी समिति को, 1996 की सिविल रिट याचिका सं. 13700 के मद्देनज़र संवैधानिक संशोधन के लिए सिफारिश करनी चाहिए । उच्चतम न्यायालय, अखिल भारतीय इंडियन ओवरसीज़ बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के पास व्यादेश, चाहे वह अस्थाई हो या स्थाई, देने की कोई शक्ति नहीं है । न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 338(8) के अनुसार मामलों में अन्वेषण एवं जांच के उद्देश्य से दीवानी न्यायालय की सभी कार्यविधिक शक्तियां हैं और वह भी मामले में बाद के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 36036/2/97-स्थापना(आरक्षण) दिनांक 1 जनवरी, 1998 और सं. 36036/2/97-स्थापना (आरक्षण) दिनांक 30-11-1998 के अनुसार केवल सीमित प्रयोजन के लिए हैं ।(**कार्रवाई: अध्यक्ष/सदस्य सचिव**)

(ii) आयोग ने प्रक्षेपित किया कि योजना आयोग को पत्र भेजा जाए जिसमें कहा गया हो कि वे अनुसूचित जातियों को उनके आर्थिक विकास में अन्य समुदायों के बराबर लाए जाने के उद्देश्य से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करते समय यह अनिवार्य करें कि एससीएसपी निधियों को केवल अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अभिप्रेत कार्यक्रमों/योजनाओं पर ही खर्च करें क्योंकि अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के बिना कोई विकास नहीं है । यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 26-6-2005 को एनडीसी की बैठक में चिन्ता व्यक्त की थी कि अनुसूचित जातियों और शेष जनसंख्या के बीच अन्तराल को 10 वर्षों के भीतर समाप्त किया जाएगा जिनमें 7 साल पहले ही बीत चुके हैं । योजना आयोग द्वारा किसी योजना/कार्यक्रम के लिए आबंटन को अन्तिम रूप दिए जाने से पहले

भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 (9) के अनुसार एससीएसपी के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से परामर्श करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दिशा-निर्देशों में अनिवार्य प्रावधान भी किए जाने चाहिएं । (**कार्रवाई: ईएसडीडब्ल्यू**)

(iii) यह देखा गया है कि तेंदुलकर समिति की सिफारिश पर आधारित योजना आयोग द्वारा निर्धारित 26/32 रुपए के नवीनतम मानदण्ड के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) लाया जाएगा । अत: अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए नवाचारी नई योजनाओं संबंधी समिति को मामले में जांच-पड़ताल करनी चाहिए और गरीबी रेखा के नीचे लाए जाने के योग्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को शामिल करने के उपयुक्त उपाय सुझाए जाने चाहिए क्योंकि वे भारत में अधिक संख्या में गरीब से भी गरीब हैं । (**कार्रवाई: अध्यक्ष/सदस्य सचिव**)

(iv) आयोग ने यह आलोकित किया कि कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि आयोग की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2004-2005 से संसद में नहीं रखी गई है । आयोग की इच्छा है कि माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा एक अ.शा. पत्र माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को भेजा जाना चाहिए जिसमें वर्ष 2005-2006, 2006-2007, मई, 2007 से नवम्बर, 2009 तथा दिसम्बर, 2009 से मई, 2010 तक की रिपोर्टें, एम्स की विशेष रिपोर्ट सहित, जो की गई कार्रवाई ज्ञापन सहित भारत के महामहीम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत की गई हैं, को संसद में रखे जाने का अनुरोध किया जाना चाहिए । (**कार्रवाई: समन्वय प्रकोष्ठ**)

(v) आयोग ने इच्छा व्यक्त की कि माननीय अध्यक्ष द्वारा एक अ.शा. पत्र सभी मुख्य मंत्रियों को और संयुक्त सचिव द्वारा सभी मुख्य सचिवों को भेजा जाए जिसमें यह अनुरोध किया जाए कि सभी राज्यों में राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालयों में अम्बेडकर भवन का निर्माण करने का अनुरोध किया जाए । ऐसे भवन का निर्माण कर्नाटक राज्य में बेंगलूर में किया गया है। (**कार्रवाई: ईएसडीडब्ल्यू**)

(vi) आयोग ने इच्छा व्यक्त की कि नए एनडीएमसी भवन (आयोग हेतु स्थान के लिए) के आबंटन को अनुमोदन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ उठाया जाना चाहिए । आयोग ने यह भी नोटिस किया कि एनआईसी द्वारा सीएमआईएस के कम्प्यूटरीकरण में विलम्ब हुआ है और एनआईसी को उपयुक्त अनुदेश दिए जाएं ताकि वह मामले में शीघ्र कार्रवाई करें । (**कार्रवाई: सामान्य प्रशासन**)

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई ।

अनुबंध -I

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 03-10-2011 को अपराह्न 1.00 बजे माननीय अध्यक्ष के आफिस चेम्बर में आयोजित 22वीं बैठक ।

उपस्थित सदस्य एवं अधिकारी

क्र.सं. ***नाम एवं पदनाम***

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राजू परमार, सदस्य
3. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

अधिकारी

1. श्री टी. तीथन, संयुक्त सचिव
2. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव